जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। वक्त जांच प्रवर्तन निरीक्षक उचित मूल्य दुकान पर उचित सामग्री यथा गेहूँ, कैरोसीन व चीनी का स्टॉक पूरा था सूचना पट्ट पर प्रदर्शन हो रहा था। जिला रसद अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध जो कार्यवाही की गई वो राजनैतिक दबाव के चलते गलत तरीके पर की गई है। दिनांक 07.2.2018 को अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है जबकि दिनांक 07.2.2018 से पूर्व अपीलान्ट की बाबत कोई जांच नही की गई है। दिनांक 21.2.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक नीमराना द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का मौका निरीक्षण कर मनमाने रूप से जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जिला रसद अधिकारी द्वारा नोटिस संख्या 2652 दिनांक 6.3.2018 का अपीलान्ट को प्राप्त हुआ था, जिसका जबाव प्रस्तुत कर दिया गया था। दिनांक 9.3.2018 की आर्डरशीट में कारण बताओं नोटिस दिनांक 7.2.2018 का जबाव अपीलान्ट द्वारा पेश करना दर्ज किया है जो जबाव मूल पत्रावली में संलग्न नही है एवं अपीलान्ट को आगामी तारीख 25.4.2018 दी गई थी, जबकि आर्डरशीट में 25.4.18 की कोई तारीख पेशी नियत नही है। तारीख पेशी 24.4.18 को नियत करते हुए अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज की गई जो समस्त कार्यवाही अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से की गई है। अपीलान्ट पर गलत जांच रिपोर्ट दिनांक 21.2.2018 के आधार पर जो आरोप विरचित किये गये थे, वो गंभीर प्रकृति के नही थें केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने लिए ही लगाये गये थे। अपीलान्ट अपना कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र पिछले पांच माह से निलम्बित चल रहा है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है। इस बाबत श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाघ नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02–09–2008 एवं 07–07–2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। लेकिन जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण पांच माह व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक नही किया गया है। Raj. Foodgrains & Other Ess. Art. (Regu. Of Distri.) Order 1976 के सैक्टर 8 क्लॉज 2 के अनुसार " No order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonanble opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of station his case." अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और किसी प्रकार का गबन किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। दिनांक 24.4.2018 को अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नही किया गया है दिनांक 11.6.2018 को जिला

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

रसद अधिकारी ने यह एलानिया कहा कि वो अपीलान्ट के केस का फैसला नही करेगें जिस कारण से आलौच्य आदेश दिनांक 25.1.2018 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन है कि आलौच्य आदेश दिनांक 25.1.2018 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। डीलर की ग्रामवासियान की शिकायत पर जांच की गई थी। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। दुकान के बाहर नोटिस बोर्ड पर स्टॉक व मूल्य सूची तथा आदिनांक तक अपडेशन नही पाया गया, पीओएस मशीन खराब पाई गई, अपडेशन मांगने के कारण पीओएस मशीन में उपलब्ध स्टॉक में बारे जानकारी नही मिल, वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार का भौतिक सत्यापन किया गया, 30 लीटर केरोसीन कम पाया गया, गेहूँ 140 कट्टे (70) क्वि. मौजूद मिला इस प्रकार 1.01 क्वि. कम मिला, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा लालाराम, महेन्द्र कुमार, गजानन्द व अन्य लाभान्वितकार्डो से फर्जी ट्रांजेक्शन कर 19.70 गेहूँ, 222 लीटर केरोसीन व 1 किग्रा चीनी उठाई गई है जिसके बारे में उपभोक्ताओं ने अपने बयान दिये है। मौके पर दुकान पर मिले उपभोक्ताओं ने अपने सामूहिक बयानों में डीलर द्वारा नियमित वितरण करने, कार्यव्यवहार सही होने बाबत बयान किये। उपभोक्ताओं के कार्डो पर फर्जी ट्रॉजेक्शन पाया गया है। उचित मूल्य दूकानदार द्वारा उक्त कृत्य कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के तहत जारी प्रा0 पत्र की शर्त संख्या 8, 11, 17 सी व 18 का स्पष्ट उल्लधंन किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है, प्राप्त शिकायत के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। जांच के दौरान स्थिति सही नहीं मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 25.1.2018 के विरूद्व दिनांक 26.6.2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 11.6.2018 होना जाहिर किया है। रैस्पा0 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेंश नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हों। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाता है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि अपीलाधीन आदेश

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। जिसके संबंध में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 25.1.2018 को निलंबित किया और अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.3.2018 को जबाव नोटिस तहत अदालत में पेंश किया गया, किन्तु तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के जबाव नोटिस पर गौर नहीं करते हुए प्रकरण को जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र की जांच को अनावश्यक विलम्ब रखा गया, साथ ही प्राधिकार पत्र के निलम्बन को 90 दिन से अधिक हो चुका है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर किया जाकर जिला रसद अधिकारी अलवर को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमान्ड की जाती है कि वे प्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का यथा सम्भव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकॉर्ड पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24–10–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/81/18	02–07–2018	24–10–2018

01. रामानन्द पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाति अहीर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नायसराना 1/2 भाग ग्राम पंचायत डूमरोली तहसील नीमराना जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 25–01–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1572/2012

उपंस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 25–01–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1572/2012 निलंबित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निरस्त किया है। जिला रसद अधिकारी अलवर का प्राधिकार निलम्बन आदेश केवल 90 दिन तक प्रभावी रहता है। दिनांक 24.4.2018 तक भी अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। दिनांक 11.6.2018 को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी ने यह एलानिया कहा कि वो अपीलान्ट के केस का फैसला नहीं करेगें। अपीलान्ट ग्राम नायसराना 1/2 भाग ग्राम पंचायत डूमरोली तहसील नीमराना में उचित मूल्य का दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र वर्ष 2012 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। दिनांक 25.1.2018 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का बिना जांच किये प्राधिकार पत्र राजनीतिक दबाव के चलते मनमाने रूप से निलम्बित किया गया है। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच दिनांक 20.2.2018 को की गई, वक्त जांच अपीलान्ट दुकान पर उपस्थित था और उपभोक्ता उपस्थित थे जिन्होनें जांच अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक को स्पस्ट रूप से कह दिया कि उन्हें उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नायसराना से कोई शिकायत नहीं है इस बाबत ग्रामवासियों/उपभोक्ताओं द्वारा सामुहिक बयान भी प्रवर्तन निरीक्षक को दिये गये थे। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.2.2018 की

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

Scanned by CamScanner